फरवरी २०१७ सहयोग शुल्क : रु. १.०० अंक : २

दिव्यांग सेतु

संपादक : संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगों के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं,
उन्हें आपकी सहानुभूति नहीं, समानता चाहिए ।

दिव्यांगों की जवाबदारी
सिर्फ माता-पिता की नहीं,
बल्कि पूरे समाज की है ।

सही मायनों में देश को विकसित
बनाने के लिए दिव्यांगों को
मुख्यधारा में लाना अति आवश्यक है ।

केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के उत्कर्ष हेतु चलाई जा रही

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेब्रल पाल्सी, ऑटीज़्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी (Cerebral Palsy, Autism, Mental Retardation, Multiple Disability) से असरग्रस्त दिव्यांगों को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रु. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु. ५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगों के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इन्श्योरेन्स मिल सकता है। (निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

- सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र
  (ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)
- वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- राशन कार्ड की प्रमाणित कॉपी
- निवास स्थान का प्रमाण (राशन कार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हों तो)
- बैंक पास बुक की फोटो कॉपी (बैंक के IFSC कोड के साथ)
- उम्र का प्रमाण (वोटिंग कार्ड अथवा जन्म प्रमाण-पत्र अथवा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र)

यह प्रीमियम
ॐकार फाउन्डेशन
ट्रस्ट द्वारा
भरा जाएगा

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

प्रेरणास्त्रोत और संपादक :

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक :

मिहीरभाई शाह

M. : 9724181999

संपर्क-सूत्र

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

ई-७२, आयोजन नगर सोसायटी,

श्रेयस क्रोसिंग के पास,

वासणा, अहमदाबाद.

मोबाईल : 9974955365,

9974955125

मुद्रक :

प्रिन्ट विज़न प्रा.लि.

आंबावाडी बजार, अहमदाबाद-६.

फोन : (079) 26405200

फरवरी : २०१७

पृष्ठ संख्या : १६

वर्ष : ०१

अंक : २

सहयोग शुल्क : रु. १/-

संपादकीय

दिव्यांग सेवा ईश्वर सेवा है एवं प्रत्येक मनुष्य को ऐसे परमार्थ के कार्य से जुड़ना चाहिए। जब ईश्वर के द्वारा किए जाने वाले कुछ नए सर्जन में किसी प्रकार की कमी रह जाती है, तो एक दिव्यांग का जन्म होता है ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार दिव्यांग, ईश्वर का ही एक महत्वपूर्ण अंश है, स्वयं उसके द्वारा रचित, निर्मित। इसलिए दिव्यागों के प्रति आदर का भाव रखना ही ईश्वर के प्रति आदर का सूचक है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा।

जो मनुष्य, मनुष्य होकर भी दूसरे मनुष्य की सेवा नहीं करता वो स्वयं की मनुष्यता एवं मानव-धर्म से विहीन रहता है। दुनिया के हरेक धर्म में ईश्वर ने मानव-सेवा के कार्य को सबसे महान बताया है और दुनिया का प्रत्येक मनुष्य इस महान कार्य में सहभागी हो, ऐसी भावना रखी है।

दिव्यांग सेतु पत्रिका, यह भारत भर के दिव्यांगों, सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों, दिव्यांगों के लिए चल रही संस्थाओं की जानकारी देने के साथ-साथ ही जन-जन के मन में दिव्यांग सेवा का भाव जागृत हो, इसके लिए सेतु की तरह कार्य करने को उद्यत है।

पत्रिका के इस अंक में १६ दिस. २०१६ को लोकसभा में पारित हुए "The Rights of Persons with Disabilities Bill-2016" गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा भव्यतापूर्वक आयोजित दिव्यांग पतंग महोत्सव एवं दिव्यांग स्वरोजगार योजना के तहत पेंसिल कोटिंग मशीन का उद्घाटन, राजकोट में हुए दिव्यांग पतंग महोत्सव की झलकियाँ, ॐकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों हेतु किये जा रहे कार्यों की जानकारी एवं Disable Welfare Trust of India, सूरत के संस्थापक पद्मश्री श्री कनुभाई टेलर का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है।

दिव्यांग सेतु पत्रिका में आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत है।

- संत श्री ॐऋषि प्रितेशभाई

उत्थान एक सामाजिक संस्था

समाज दिव्यांगों को समझे, स्वीकार करे एवं समाज में उनके प्रति जागरूकता जागृत हो.... इसी भावना से आज से ३० वर्ष पूर्व शुरू हुई एक संस्था – उत्थान।

यहाँ दिव्यांगों को, खास तौर पर मंदबुद्धि दिव्यांगों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती है, उनके कौशल को उभारते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है।

उत्थान संस्था द्वारा मंदबुद्धि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक केन्द्र चलाये जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं –

(१) उत्थान तालीम केन्द्र – उत्थान तालीम केन्द्र मंदबुद्धि दिव्यांगों के कौशल्य एवं सर्जनात्मकता को उभारने के लिए समर्पित है जहाँ उन्हें बुनियादी जीवन कुशलता को उभारने के लिए कार्यात्मक शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(२) उमंग – उमंग मंदबुद्धि बालिकाओं के लिए चलाया जाता है।

(३) उत्थान शिक्षण केन्द्र – उत्थान शिक्षण केन्द्र दिव्यांग बालक-बालिकाओं के लिए चलाया जा रहा स्कूल है जहाँ उनकी क्षमता को उनकी दिव्यांगता से परे रखकर उभारा जाता है। कला, नृत्य, ड्रामा यह सब भी उनकी शिक्षा का एक अटूट हिस्सा हैं। यहाँ के विद्यार्थियों ने जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कला एवं नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया है एवं कई पुरस्कार भी जीते हैं। खेलकूद में भी उन्होंने कई स्वर्ण एवं रजत मेडल्स जीते हैं।

(४) उत्थान उत्पादन केन्द्र – उत्थान उत्पादन केन्द्र में दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को पर्यावरण संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे आर्थिक रूप से भी सक्षम बनें। यहाँ बनाई जाने वाली वस्तुएँ हैं – ऑफिस स्टेशनरी (सभी प्रकार की फाइल्स, नोटपेड्स, फोल्डर्स, टेलीफोन डायरी, केलेन्डर), गिफ्ट पेपर बैग्ज़, न्यूज़ पेपर बैग्ज़, ग्रीटिंग कार्ड्स, पेंटिंग्स, वेक्स दीया, क्राफ्ट वर्क इत्यादि।

इन सब वस्तुओं को बनाने के लिए ऑर्डर भी लिए जाते है और वो खरीददार की मांग के अनुसार बनाये जाते हैं।

'उत्थान' के उत्थान में आप भी भागीदार बन सकते हैं – उनके द्वारा बनाई हुई वस्तुएँ खरीदकर, उन्हें नौकरी दिलवाकर एवं संस्था में अनुदान देकर।

आइए एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में हम भी अपना योगदान दें।

संस्था का पता है –

उत्थान तालीम केन्द्र

पीपल्स कॉ.ओप. बैंक की बाजू में

पालड़ी, एलिसब्रीज, अहमदाबाद-३८०००६

फोन : ०७९-२६५७७४२५, ९४२६४१९४३४

website : www.utthan.org.in

विजय रुपाणी
मुख्यमंत्री, गुजरात राज्य

दि. 03-02-2017

संदेश

"माना कि अंधेरा घना है, किन्तु दिया जलाना कहाँ मना है?"

मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा है, अपितु भगवान की सच्ची पूजा भी है। ऋषि-मुनियों ने कहा है कि धरती पर जन्म लेना उसी का सार्थक है, जो प्रकृति के भाँति दूसरों की भलाई करने में हर्ष का अनुभव करे।

प्रसन्नता का विषय है, ओमकार फाउन्डेशन ट्रस्ट, अहमदाबाद द्वारा दिव्यांग सेतु मासिक पत्रिका प्रसिद्ध किया जाता है जिसके तहत भारत भर में रहे दिव्यांगों की बाते उनके लिए किए जा रहे अच्छे कार्य इत्यादि विषयों का आलेखन आवकार्य है। आशा करता हूँ यह पत्रिका सभी पाठकवर्ग के लिए अति उपयोगी रहेगी, इसी के साथ अभिनंदन तथा शुभेच्छा।

आपका,

(विजय रुपाणी)

To,
Shree Kinjal A. Shah, *Trustee,*
Omkar Foundation Trust (NGO),
E/72, Ayojannagar Society,
Nr. Jivraj Mehta Hospital & Shreyas Crossing,
Vasna, Ahmedabad – 380 007,
Email: omkarfoundationtrust@gmail.com

ॐकार फाउन्डेशन द्वारा आयोजित
दिव्यांग पतंग महोत्सव

दि. ८-१-२०१७ को गुजरात के अहमदाबाद शहर में ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट ००० द्वारा दिव्यांग पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी द्वारा किया गया। उनके साथ ही इस मौके पर गुजरात विधान-सभा के अध्यक्ष श्री रमणभाई वोरा, अहमदाबाद के महापौर श्री गौतमभाई शाह, विधायक श्री राकेशभाई शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

इस भव्य आयोजन में अहमदाबाद एवं आस-पास की संस्थाओं के लगभग १८०० दिव्यांगों ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते ही दिव्यांगों को ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा एक-एक किट प्रदान की गई जिसमें टोपी, चश्मा, नाश्ता इत्यादि था। अपने-अपने स्थान ग्रहण करने के बाद उन्हें गेम जॉकी द्वारा कई प्रकार के मनोरंजक खेल खिलाए गए, जिनमें उनका उत्साह देखते ही बनता था। उसके पश्चात अपंग मानव मंडल, मंथन इत्यादि संस्थाओं के दिव्यांग बालक-बालिकाओं द्वारा प्रार्थना, देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत गीतों पर एवं प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को दर्शाते हुए मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मुख्यमंत्री ने भी सराहा। इसी कड़ी में सद्विचार परिवार ट्रस्ट के बालकों ने देश-भक्ति का गीत गाया एवं जिम्नास्टिक की अत्यंत प्रभावशाली प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए दिव्यांग बालक-बालिकाओं ने विभिन्न महापुरुषों की वेशभूषा धारण की थी एवं सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट के चेअरमेन एवं मेनेजिंग ट्रस्टी ॐऋषि श्री प्रितेशभाई ने इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए महाअभियान की अत्यंत सराहना करते हुए कहा कि भारत को सही अर्थों में विकसित बनाने के लिए दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने विकलांग, अपंग जैसे उपेक्षा दिखलाते शब्दों की जगह 'दिव्यांग'शब्द देकर दिव्यांगों में एक नई चेतना का संचार किया है।

इस अवसर पर ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'दिव्यांग सेतु' के प्रथम संस्करण का विमोचन मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के द्वारा किया गया। तत्पश्चात् दिव्यांगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो समाज दिव्यांगों का मान-सम्मान नहीं कर सकता, वह समाज स्वयं ही दिव्यांग है। दिव्यांगों के सर्वांगी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा दोहराते हुए उन्होंने जनसाधारण से इस कार्य में जुड़ने की आशा व्यक्त की। उन्होंने इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए आजीवन एस.टी. बस पास देने की घोषणा की।

गुजरात विधान-सभा अध्यक्ष श्री रमणलाल वोरा ने कहा कि दिव्यांगों को आपकी करूणा नहीं, बल्कि प्रेम एवं प्रोत्साहन की जरूरत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को ४५० करोड़ रुपयों का बजट आवंटित कर गुजरात सरकार ने

वंचित एवं दिव्यांगों के विकास एवं स्वावलंबन हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगों को स्वरोजगार प्राप्त हो सके, ऐसी एक पेंसिल कोटिंग मशीन का भी उद्घाटन किया गया और फिर पतंग उड़ाकर पतंग महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया, जिसके बाद अनेक दिव्यांगों ने पतंग उड़ाकर समारोह में अपनी उपस्थिति दर्शाई । वो दिव्यांगों से बहुत प्रेमपूर्वक मिले एवं उनके साथ फोटो भी खिंचवाई जिससे दिव्यांगों का उत्साह-उल्लास देखते ही बन रहा था। कुछ उत्साही बच्चों ने तो DJ की धुन पर थिरक कर अपने आनंद का इज़हार किया।

ट्रस्ट द्वारा सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए समारोह स्थल पर ही भोजन की व्यवस्था रखी गई थी । सभी प्रायोजकों को ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट की तरफ से ॐऋषि श्री प्रितेशभाई द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया । इस पूरे कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन करने में ॐकार सेवा दल के सभी सदस्यों का अत्यंत सराहनीय योगदान रहा।

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई से चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रुपाणी

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई के साथ
विधायक श्री राकेशभाई शाह

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई के साथ
मेयर श्री गौतमभाई शाह

राजकोट
पतंग महोत्सव की जानकारी

दि. १५ जनवरी, २०१७ को राजकोट शहर के रेसकोर्स मैदान में प्रयास पेरेन्ट्स एसोसिएशन द्वारा दिव्यांग पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी द्वारा किया गया। पतंग उत्सव के कार्यक्रम का प्रारंभ होते ही स्टेज पर बैठे मुख्यमंत्री से एक दिव्यांग बालक तुषार दावड़ा दौड़कर मिलने चला गया एवं बड़े निश्छल भाव से उनके गाल को चूम लिया। द्रवित होकर मुख्यमंत्री ने उस बालक को गले से लगा लिया। इस मनोरम दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित समस्त लोग भाव-विभोर हो उठे।

इस कार्यक्रम की मनभावन तस्वीरों की एक झलक.....

फॉर्म

संस्था का नाम :-

संस्था का पता :-

संस्था का प्रश्न :-

mail ID :-

मोबाइल नंबर :-

लेन्डलाइन नंबर :-

आप अपनी संस्था में दिव्यांग बालकों द्वारा फुल स्केप पेज में चित्र बनवाकर हमारी संस्था में भेज सकते हैं। इन चित्रो में प्रथम तीन चित्रों को हमारी संस्था की और से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि 31 मई 2017

प्रथम - रु. १५००/-

द्वितीय - रु.१०००/-

एवं तृतीय रु.५००/-

चित्र के पीछे की ओर दिव्यांग बालक/बालिका/व्यक्ति का नाम, संस्था का पूरा नाम, संस्था का पता, लेन्डलाइन नंबर अथवा/एवं मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।

किसी भी संस्था की ओर से दिव्यांगो के प्रति किसी भी प्रकार की सलाह, उनकी तकलीफें, उनसे संबंधित प्रश्नों, उनके लिए किए गए कार्यक्रम, उनके विकास के लिए किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी इत्यादि हमारी पत्रिका में निःशुल्क छापी जाएगी।

व्यक्ति परिचय

पद्मश्री
श्री कनुभाई टेलर

जहाँ साधारण मनुष्य परिस्थितियों के अनुकूल न होने पर निराश हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आगे बढ़ने से उनकी शारीरिक कमियाँ भी रोक नहीं पाती हैं । वे ईश्वर प्रदत्त प्रतिकूलताओं में भी संघर्ष करते हुए न केवल अपने लिए समाज में सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं अपितु समाज के उन व्यक्तियों के लिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, मार्गदर्शक बनते हैं एवं संपूर्ण मानवजाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण है – कनुभाई टेलर

कनुभाई टेलर, "A man on the wheel" – अदम्य साहस एवं इच्छाशक्ति के धनी, जिनके अकेले के प्रयासों ने असंख्य दिव्यांगों की जिन्दगी की दिशा ही बदल कर रख दी।

कनुभाई टेलर का जन्म १७-५-१९५७ को सूरत के पास मगदल्ला नामक गाँव में एक अत्यंत साधारण दर्जी परिवार में हुआ। उनके जन्म के पश्चात उनके माता-पिता खेड़ा जिले के अडास गाँव में आकर बस गए, जहाँ उनकी स्कूली शिक्षा हुई। बचपन में ही पोलियो से ग्रसित होने के कारण उनके दोनों पैर खराब हो गए जिसकी वजह से उन्हें स्कूली शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। अत्यंत गरीबी की हालत में किसी प्रकार की वाहन सुविधा ना होने के कारण वो ११वीं तक घिसट-घिसट कर स्कूल गए। ११वीं तक गाँव में पढ़ाई करने के पश्चात माता-पिता की इच्छा न होने पर भी वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद आए, जहाँ उन्होंने सहजानंद आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज में प्रवेश लिया।

अहमदाबाद में रहने की कोई जगह ना होने पर वे अपंग मानव मंडल में जाकर रहे जहाँ अपने कॉलेज से बचे समय में वो छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे । एक बार गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर कनुभाई ने कॉलेज प्राध्यापक से अपने जैसे शारीरिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों हेतु भी ऐसा आयोजन किये जाने का निवेदन किया। उनके इस निवेदन को स्वीकार करते हुए प्राध्यापक ने कनुभाई को वि.वि. के कुलसचिव के पास भेजा, जिन्होंने उन्हें वि.वि. के अंतर्गत चल रहे १७ कॉलेजों से विकलांग विद्यार्थियों की

संख्या सूचित करने का निर्देश दिया। कुल २१० विद्यार्थियों की संख्या मिलने पर वि.वि.ने पहली बार विकलांगों हेतु खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये कनुभाई की लगन एवं दृढ़ निश्चय का ही परिणाम था। इसी आयोजन के दौरान जब कनुभाई अपने जैसे विद्यार्थियों से मिले तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अनेक विद्यार्थी बस में जगह नहीं मिलने या बस किराये के पैसे नहीं होने के कारण प्रतियोगिता स्थल तक नहीं पहुँच पायें। यहीं से कनुभाई को अपना दूसरा लक्ष्य मिल गया और उन्होंने गुजरात सरकार को पत्र लिखकर एस.टी. बस में विकलांगों हेतु मुफ्त प्रवास एवं बस के दरवाजे के पास वाली सीटों के आरक्षण की माँग रखी। अनेक पत्र भेजने के बाद भी गुजरात सरकार की ओर से कोई प्रतिसाद नहीं मिलने पर कनुभाई अपनी इस माँग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गये। अंततः ११ दिन बाद सरकार ने उनकी इस माँग को स्वीकार कर सभी विकलांगों को गुजरात एस.टी. की बसों में मुफ्त प्रवास एवं सीट आरक्षण की सुविधा प्रदान की।

इस घटना से कनुभाई को यह विश्वास हो गया कि यदि सतत प्रयास किये जाएँ तो सरकार व समाज से सभी कार्यों मे सहयोग मिल जाता है। यहीं से विकलांगों के स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता को अपना लक्ष्य बनाकर कनुभाई ने अपना जीवन विकलांगों के कल्याण एवं सम्मानजनक जीवनयापन हेतु समर्पित कर दिया।

१९८५ में वे सूरत में जाकर बस गए। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में उन्होंने प्रिन्टिग प्रेस की शुरूआत की, जहाँ उन्होंने इस कार्य में आत्मनिर्भर बनने के लिए दिव्यांगों को प्रशिक्षित किया। उन्हें हमेशा यही लगता रहा कि जो तकलीफें उन्होंने उठायी हैं, उन जैसे और दिव्यांगों को ना उठानी पड़े।

उन्होंने दिव्यांगो के सशक्तिकरण एवं उनकी आवाज को जन-जन तक पहुँचाने के लिए १९९१ में एक NGO "Disable Welfare Trust of India" की स्थापना की जो दिव्यांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं, पुनःस्थापन के क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय है।

उनके कार्यों से प्रभावित होकर सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर मि. एस.आर. राव द्वारा उन्हें १ जुलाई, १९९७ को एक म्युनिसिपल स्कूल के १० कमरे दिव्यांगों का स्कूल बनाने के लिए आवंटित किए, जिसकी शुरुआत केवल ४ बच्चों के साथ हुई थी। उनके दिव्यांगों के प्रति स्नेह एवं प्यार को देखते हुए उन्हें सूरत म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा सन् २००० में १८ कमरों की एक बड़ी जगह दी गई जहाँ आज लगभग ४०० दिव्यांग बच्चे शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

कनुभाई को उनके इन महान एवं प्रेरक कार्यों के लिए ४० से भी अधिक बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें प्रतिष्ठित 'पद्मश्री' भी शामिल है।

पिछले १० सालों में कनुभाई के वे सभी स्वप्न जो उन्होंने दिव्यांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं उत्थान के लिए देखे थे, पूर्ण हुए हैं। समाज को उन जैसे व्यक्तित्व पर अत्यंत गर्व है और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे शतायु हों।

दिव्यांग अधिकार एक नई सुबह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों की प्रगति एवं सुविधा के लिए अत्यंत ही सराहनीय कदम उठाए गए हैं एवं उन्हें 'दिव्यांग' जैसा एक सम्मानजनक नाम दिया गया है।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नये अधिनियम के अनुसार दि. १६-१२-२०१६ को लोकसभा में "The Rights of Persons with Disabilities Bill-2016" पारित किया गया। यह बिल RPWD Act, 1995 जो कि २१ वर्ष पूर्व बना था की जगह लेगा। राज्य सभा इस बिल को १४-१२-२०१६ को पहले ही पारित कर चुकी है। इस नए बिल में दिव्यांगता की परिभाषा एक उभरती और गतिशील अवधारणा पर आधारित है।

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, १९९५ के तहत ७ (सात) दिव्यांगताएँ परिभाषित की गई। इसके तहत सन् २०११ की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग २ करोड़ से भी अधिक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगता से ग्रसित हैं।

नये विधेयक में यह सूची विस्तृत कर, १४ अतिरिक्त दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है और साथ ही केन्द्र सरकार को समय-समय पर अन्य अथवा नई दिव्यांगताओं को सूची में जोड़ने के अधिकार भी दिये गये हैं। एक प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार सूची में नई शारीरिक दिव्यांगताएँ सम्मिलित होने से करीब ७ से १० करोड़ दिव्यांगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह २१ दिव्यांगताएँ इस प्रकार हैं –

(१) अंधत्व
(२) कम दृष्टि
(३) कुष्ठ रोग मुक्त
(४) श्रवण शक्ति का ह्रास (कम सुनना अथवा बहरापन)
(५) चलन नि:शक्तता
(६) बौनापन
(७) मानसिक मंदता
(८) मानसिक रूग्णता
(९) ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
(१०) सेरेब्रल पाल्सी
(११) मांसपेशीय दुर्विकास
(१२) पुरानी स्नायु संबंधी बीमारी
(१३) विशेष शिक्षण दिव्यांगता
(१४) मल्टीपल स्केलेरोसिस
(१५) बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता
(१६) थेलेसीमिया
(१७) हीमोफीलिया
(१८) सिकल सेल रोग
(१९) मल्टीपल डिसेबिलिटी (अंधत्व-बहरेपन के साथ)
(२०) एसिड अटैक पीड़ित
(२१) पार्किन्संस

विशेष शिक्षण दिव्यांगता एवं बोलने तथा भाषा की दिव्यांगता को इस बिल में पहली बार जोड़ा गया है। एसिड अटैक पीड़ित व्यक्तियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। बौनेपन एवं मांसपेशीय दुर्विकास को एक अलग वर्ग में रखा गया है एवं नए

प्रकार की दिव्यांगताओं में तीन रक्त संबंधी रोग थेलेसीमिया, हीमोफीलिया एवं सिकल सेल रोग को भी सम्मिलित किया गया है।

इस बिल के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को अब से सरकारी नौकरियों में ४% तक आरक्षण दिया जाएगा । दिव्यांग महिलाओं एवं बच्चों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हर उस बच्चे को जो विशेष दिव्यांगता से पीड़ित है, ६ से १८ वर्ष की उम्र के दौरान मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं सरकार द्वारा मान्य संस्थाओं को दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना होगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'सुगम्य भारत अभियान' को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक इमारत (सरकारी अथवा गैर सरकारी/निजी) को एक सीमित समय में अपने ढाँचे को दिव्यांग एवं वृद्ध व्यक्तियों की सुविधा अनुसार परिवर्तित करते हुए उसे सुगम्य बनाना होगा । मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के संरक्षण पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। दिव्यांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कोषों का गठन होगा। दिव्यांगों के प्रति किए जाने वाले अपराधों के लिए दंड दिया जाएगा एवं इस नए बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भी दंडित किया जाएगा और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के मामले सुलझाने के लिए हर जिला स्तर पर विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा।

यह बिल हमारे कानून को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन के साथ पालन करने के लिए लाया जा रहा है, जो करने के लिए भारत २००७ में UNCRD में एक हस्ताक्षरकर्ता बना।

अब इसी राह पर चलते हुए गुजरात सरकार भी दिव्यांगों की उन्नति की दिशा में अत्यंत सक्रिय हो गई है । गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक विशेष निगम 'दिव्यांग वित्तीय विकास निगम' के गठन का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य राज्य में रजिस्टर्ड लगभग १० लाख दिव्यांगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना है। साथ ही साथ सरकार उन सभी कंपनियों को, जो दिव्यांगों को उनकी जरूरत के अनुसार सुविधा प्रदान करते हुए रोज़गार देगी, खास तरह की टेक्स में छूट एवं वित्तीय सहायता का विकल्प देगी। इस निगम के गठन की घोषणा राज्य सरकार द्वारा आने वाले बजट सत्र, जो २० फरवरी से शुरू हो रहा है, में की जाएगी।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दिव्यांगों के अधिकारों के लिए बने इस नए बिल से न केवल दिव्यांगों के हकों एवं अधिकारों में वृद्धि होगी बल्कि यह उनके सशक्तिकरण एवं समाज में उनको सही ढंग से शामिल किए जाने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करेगा।

नि:शुल्क जाँच एवं निदान

दिनांक २६ जनवरी, २०१७ से दिनांक २६ जनवरी २०१८ तक ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट NGO के माध्यम से क्रिस्टल डेन्टल केयर (डॉ. शाश्वत जैन एवं चिकित्सक दल) दिव्यांगों व शहीद सैनिकों के जरुरतमंद परिवारों के लिए नि:शुल्क जाँच एवं निदान के लिए प्रतिबद्ध है।

इसी के तहत क्रिस्टल डेन्टल केयर की टीम – डॉ. शाश्वत जैन, डॉ. अमी पांचाल एवं असिस्टेंट अविनाश अहीर द्वारा ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट के सहयोग से गुरुवार दि. २६-१-२०१७ को मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की शाला – समर्थ रेसिडेन्शियल एंड रिस्पाइट सेन्टर, सम्मिलित शाला, जेतलपुर, पीराना रोड, अहमदाबाद में एक डेन्टल चेकअप केम्प का आयोजन किया गया जिसमें ३० बच्चों के दाँतों की जाँच की गई। ढंग से ब्रश ना कर पाने की वजह से बच्चों के दाँतों की स्थिति बहुत ही खराब थी और वो दाँतों की विभिन्न समस्याओं जैसे दर्द, कैविटीज़, टूटे हुए दाँत, फूले हुए मसूड़े, मुँह से बदबू आना इत्यादि से पीड़ित थे। डॉक्टर्स द्वारा सब बच्चों के दाँतों की जाँच करने के बाद उनका रिकार्ड बनाया गया, जिसके तहत अब समस्या की गंभीरता के अनुसार उनका इलाज क्रिस्टल डेन्टल केअर क्लिनिक में किया जायेगा।

इस पूरे आयोजन में ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट के श्री मनीषभाई एवं श्री सुधीरभाई का सराहनीय योगदान रहा।

दिव्यांगों के लिए स्माईल ईयर

दिनांक २६ जनवरी, २०१७ से दिनांक २६ जनवरी २०१८ तक

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट NGO के माध्यम से

क्रिस्टल डेन्टल केयर (डॉ. शाश्वत जैन एवं चिकित्सक दल)

दिव्यांगों व शहीद सैनिकों के जरुरतमंद परिवारों के लिए

नि:शुल्क जाँच एवं निदान के लिए प्रतिबद्ध है

મંત્ર યુગપરિવર્તક પ. પૂ. સંતશ્રી ઋષિ પ્રિતેશભાઇના
આશિર્વાદ અને માર્ગદર્શનથી શરુ થયેલ...

KRYSTAL DENTAL CARE

MULTISPECIALTY DENTAL CLINIC

DIGITAL SMILE DESIGN AND IMPLANT CENTRE

180, Titanium City Centre Mall, Near IOC Petrol Pump,
Anandnagar Road, Satellite, Ahmedabad - 380015

Clinic : 079 - 48008004

DSD Digital Smile Design

Dr. Shashwat Jain

+91 99786 01890

M.D.S. - Prosthodontics (Manipal)
PGCOI - Implant Specialist
DSD - Digital Smile Design

TIMINGS :
10.00 am to 08.00pm

શ્રી પી. સી. જૈન
ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટની
છત્રછાયામાં ચાલતી...

દાંતના તમામ દર્દોનું
એકમાત્ર
સમાધાન સ્થળ એટલે...

ક્રીસ્ટલ
ડેન્ટલ કેર

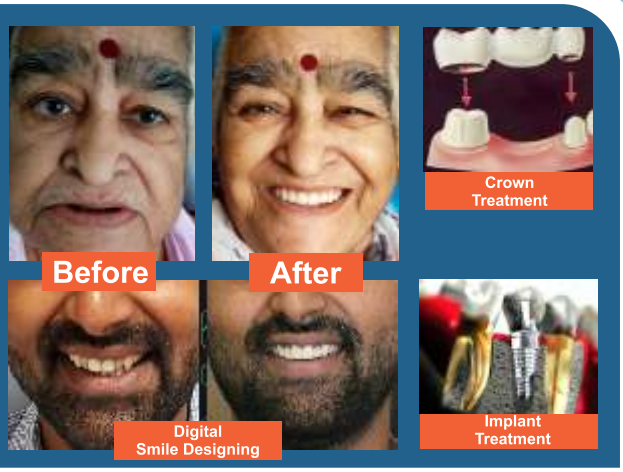

Consultant Prosthodontist
& Implantologist

- Maxillofacial Prosthetics
  - Cancer Rehabilitation
  - Trauma Rehabilitation
- Implant Rehabilitations
- Digital Smile Designing
- Full Mouth Rehabilitations
- Crowns & Veneers
- Full & Partial Dentrures

WHAT WE DO:

- Implant treatment
- Digital Smile Design
- Dentistry for aged patients
- Fixed and removable dentures
- Crowns and Veneers
- Prosthetic replacements (Eye, Ear, Nose, Fingers)
- Orthodontics
- Dentistry for Kids
- Root canal treatment
- Gum treatment
- Laser dentistry

OPG Facility available
Pick up & Drop Facility for Senior Citizens

Website : www.krystaldentalcare.com | Email: drs@krystaldentalcare.com

दिव्यांग सेतु पत्रिका का विमोचन करते हुए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रुपाणी, संत श्री ॐऋषि प्रितेशभाई, गुजरात राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्री रमणभाई वोरा, अहमदाबाद के मेयर श्री गौतमभाई शाह, श्री राकेशभाई शाह (विधायक) श्री पी.सी.जैन, परिनभाई, किंजल शाह और मिहिर शाह